न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर

एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 03/2024
3. उनवान : सरकार जरिये श्री अवधेश गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय

–आवेदक

बनाम

1. यतिन कुमार जैन पुत्र श्री गुणसागर जैन
   फर्म– मैसर्स गुलाबचंद शंकरलाल, मैन मार्केट, किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला–जयपुर, राज0–302039
   निवासी– 2 बी बीडावत मार्ग रियल सिटी के पास अम्बाबाडी जयपुर, राजस्थान।
2. श्री ऋषभ जैन पुत्र श्री शांतिलाल जैन
   फर्म– रिषभ एंटरप्राइजेज सी पी 2, रोड नंबर 7, इंद्रप्रस्थ इन्डस्ट्रीअल एरिया, कोटा, राजस्थान 304001 मोबाईल नंबर 9928311188

–अभियुक्तगण

4. निर्णय दिनांक : 17-4-25
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 02 (ii)/51 एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 एवं नियम 2011

आवेदक अवधेश गुप्ता खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय दिनांक 18–05–2023 को समय दोपहर 1.15 पी.एम. मैसर्स गुलाबचन्द शंकरलाल मैन मार्केट किशनगढ रेनवाल, तहसील फुलेरा, जिला जयपुर पहुंचे। वहां पर यतिन कुमार जैन पुत्र श्री गुणसागर जैन उपस्थित थे तथा पूछने पर स्वयं को इस फर्म का विक्रेता एवं मालिक होना बताया। यतिन कुमार जैन को परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यतिन कुमार जैन से वर्ष 2023 का खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञा पत्र मांगा जिस पर उन्होंने मौके पर फर्म के खाद्य रजिस्ट्रेशन, जी एस टी रजिस्ट्रेशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रतियां प्रस्तुत की। उक्त दुकान के निरीक्षण के दौरान 5 कार्टून में लगभग 32 पैकेट वनस्पति (श्री रामदेव ब्रांड) विक्रय हेतु रखे हुये पाये गए। जिसमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर वास्ते नमूना जांच हेतु 2 किग्रा. वनस्पति खरीदकर उसकी कीमत 260/– रुपये विक्रेता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान श्री अंजनी कुमार एवं रमेश चंद के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा

अतिरिक्त कलक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय) जयपुर

अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे जितेन्द्र पाल नोगिया ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म स. 5ए की एक प्रति विक्रेता यतिन कुमार जैन को देकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 4 नमूना भाग प्रति भाग 500 ग्राम वनस्पति पर लेबल तैयार कर प्रत्येक पैकेट पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के कोड एवं क्रमांक एन–3180 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नः एन–3180 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रैपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म न. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फॉर्म सं 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना भाग गय फार्म सं 6 की दो प्रतियों के आउटर
कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा
अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के
पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/418 दिनांक 20.06.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य
विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट सं एलएस/2139/एक्ट/2023/2155 दिनांक 09.06.2023
के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (श्री
रामदेव ब्रांड) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल
पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की।

अन्त में निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण द्वारा मैसर्स गुलाबचंद शंकरलाल द्वारा
सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ श्री रामदेव वनस्पति का विक्रय/निर्माण करके खाद्य संरक्षा एवं
मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया
है। जिससे अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा
51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

न्यायालय में आवेदन प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अभियुक्तगण को
अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस सम्यक
रूप से तामील है। अभियुक्त संख्या 1 व 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। बारम्बार आवाज
असालतन/वकालतन
दिलाई गई बावजूद अप्रार्थीयान अनुपस्थित। एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जवाब
बन्द किया गया।

तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने बहस अप्रार्थीगण अनुपस्थित
रहे। बारम्बार आवाज दिलाई गई बावजूद अप्रार्थीयान अनुपस्थित। अनको बार दूरभाष पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

सूचित करने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहे। एक तरफा बहस सुनी गयी। पैरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया है कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर से प्राप्त विश्लेषण रिपोर्ट संख्या एलएस / 2139 / एक्ट / 2023 / 2155 दिनांक 09.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (श्री रामदेव ब्रांड) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। अतः अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है। जिससे अप्रार्थीगण को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अनुसार जुर्माने से दण्डित किया जाये।

हमने आवेदन पत्र का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी पैरोकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि नमूना एकत्रित करने की कार्यवाही नियमानुसार की गई थी। साथ ही दस्तावेजात पर अभियुक्त के हस्ताक्षर हैं। जिससे सुस्पष्ट है कि अभियुक्त को कार्यवाही के विषय में समझाया गया। खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस / 2139 / एक्ट / 2023 / 2155 दिनांक 09.06.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ वनस्पति (श्री रामदेव ब्रांड) सबस्टैण्डर्ड पाया गया। जिससे सुस्पष्ट है कि सब–स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ वनस्पति का क्रय / निर्माण करके विक्रय किया गया, जिसके लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है अभियुक्तगण द्वारा सब–स्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ वनस्पति का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में दोषी पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान है। उपरोक्त प्रावधान के अनुसार अभियुक्त को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत दोनों अभियुक्तों पर पृथक–पृथक **1,00,000–1,00,000 (एक –एक लाख)** रुपये शास्ति राशि आरोपित की जाती है। अभियुक्त अप्रार्थीगण द्वारा शास्ति राशि जरिये चालान जमा कराई जाकर चालान की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 17-4-25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुन्तल विश्नोई)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट
(तृतीय), जयपुर